

2016/00149

9

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा)

पीठासीन अधिकारी -विनोद कुमार मीना आर० ए० एस०

अपील संख्या- 11/2016

अवसेतू पुत्रश्री लाखनसिंह नाबालिग व सरपरस्ती माता पप्पी पत्नी लाखनसिंह जाति ठाकुर निवासी मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1-ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा तामील जरिये संरपच ग्राम पंचायत मांकरा तहसील सैपऊ सैपऊ, जिला धौलपुर

2-श्यामवीरसिंह परमार पुत्र परमानन्द जाति ठाकुर निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी बाडी रोड धौलपुर

3-रुस्तमसिंह पुत्र बुद्धा 4-डम्बरसिंह पुत्र बुद्धा जातिगण ठाकुर निवासीयांन मांकरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पो०

अपील व खिलाफ नामा० आदेश सरपंच ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा तारीखी 21. 07.2014 वावत् नामा० संख्या 1049 वाके ग्राम कूकरा मांकरा तहसील सैपऊ

उपस्थिति- 1-श्री सुरेन्द्रसिंह दुबे अभिभाषक - अपीलांट

2-श्री हरिवीरसिंह अभिभाषक - रेस्पो० संख्या 2

निर्णय

दिनांक 15.05.2018

अपीलान्ट की ओर से अपना शिजरा प्रस्तुत करते हुये अपील न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की कि पक्षकारो के पूर्व पुरुष बुद्धा थे बुद्धा के दो पुत्र डम्बरसिंह व रुस्तमसिंह हुये, डम्बरसिंह के पुत्रगण लाखनसिंह,कोकसिंह,निहालसिंह,रामनरेश व मोनू हुये अपीलान्ट लाखनसिंह का पुत्र है । नामा० संख्या 1049 वाके ग्राम मांकरा पूर्व पुरुष बुद्धा के निधन के उपरान्त रेस्पो० संख्या 3 व 4 पर वाहिस्सा प्रकान्त हुई । विवादित आराजी अपीलान्ट की पैतृक आराजी है जिसमें अपीलान्ट को जन्म से ही खातेदारी अधिकार हासिल है। अपीलान्ट के बाबा रेस्पो० संख्या 4 डम्बरसिंह, व रेस्पो० संख्या 3 ने रेस्पो० संख्या 2 से साजकर विवादित आराजी पर स्थगन आदेश रहते हुये भी रेस्पो० संख्या 2 ने दिनांक 7.4.2016 को विधि विरुद्ध बटवारा कर दिया है तथा



  
उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ


उक्त आराजी के रेस्पो0 संख्या 3 ने रेस्पो0 संख्या 2 को दिनांक 15.7.2014 को विक्रय कर दिया है जो न्यायालय की सरेआम अवमानना की है । उपरोक्त आराजीयात पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 21.8.2006 से स्थगन आदेश जारी है जो उनवानी प्रकरण डम्बरसिंह बनाम विट्टी अपील संख्या 5547/2006 विचाराधीन है ।

यह कि आदेश तारीखी 21.7.2014 खिलाफ कायदे कानून है । अधीनस्थ अधिकारी ने नामा0 पारित करते समय किसी प्रकार की जांच नहीं की । अधीनस्थ अधिकारी ने नामा0 पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया है । समस्त कार्यवाही स्थगन आदेश के होते हुए की है जो प्रारंभ से ही शून्य है । अधीनस्थ अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलांट की बैंक पर कर नामा0 पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अपीलांट को आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 16.7.2016 को हुई तत्पश्चात अपीलांट ने तहसील जाकर मालूमात किया जो अपीलांट ने नामा0 की नकल दिनांक 19.7.2016 को तहसील कार्यालय सैपऊ प्राप्त की । अपीलांट बिना देरी किये ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की है । अपीलांट द्वारा उपरोक्त विवेचन के उपरान्त निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत नामा0 आदेश तारीखी 21.7.2014 सरपंच ग्राम पंचायत कूकरा मांकरा वावत् नामा0 संख्या 1049 वाके ग्राम कूकरा मांकरा मन्सूख फरमाया जावे ।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार -2018 कैम्प अटल सेवा केन्द्र कूकरा माकरा तहसील सैपऊ पर रखा गया । अपीलांट की सरपरस्त माता पप्पी स्वयं व उनके अभिभाषक उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 सचिव ग्राम पंचायत व डम्बरसिंह स्वयं उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से श्री हरवीरसिंह एडवोकेट उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 3 रूस्तमसिंह का नोटिस ग्राम मांकरा में नहीं रहने के कारण अदम तामील प्राप्त हुआ है । रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से एक किता फहरिस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसिल किये गये । रेस्पो0 संख्या 1 व 4 ने अपील का कोई जबाब प्रस्तुत करने से इंकार किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र अधीन धारा 96 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण बदनीयती व दुर्भावनावश अप्रार्थी संख्या 2 को हैरान परेशान करने के लिए डम्बरसिंह ने प्रस्तुत कराया है जो विधि विरुद्ध है । उक्त प्रार्थना पत्र एक नावालिंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नहीं है । नावालिंग स्वयं कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है । प्रार्थना पत्र में नावालिंग की माता की सरपरस्ती में होना बताया है । लेकिन प्रार्थना पत्र मां के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रार्थना पत्र में जरिये सरपरस्ती प्रस्तुत करना नहीं बताया है । समस्त भाषा नावालिंग के द्वारा प्रस्तुत करने की लिखी गई है । नावालिंग के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की धारा 96 जा0 दी0 के तहत अनुमति मांगी गई जो गलत है । नावालिंग ना तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और ना ही कानूनी कार्यवाही कर सकता है । अगर नावालिंग के हितों के लिए कोई कानूनी कार्यवाही करनी है तो जरिये वादमित्र या जरिये सरपरस्ती की जा सकती है जो प्रार्थना पत्र में नहीं की गई



  
उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ

है । प्रकरण में विवादित आराजी का विवरण नहीं दिया गया है । कौन सी आराजी थी उसका क्या रकवा था तथा नावालिग के क्या हित थे उसको पक्षकार क्या बनाया गया है । उसके हितों पर किस प्रकार विपरीत प्रभाव पडा कोई तथ्य मद में नहीं लिखी है । मात्र यह लिखकर दिनांक 7.4.2016 वावत् बटवारा नावालिग के हितों के विपरीत पारित किया गया है पर्याप्त नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । पैतृक सम्पत्ति में प्रार्थी का कैसे स्वत्व व हित निहित है बताये बगैर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है । बटवारा के निर्णय के समय राजस्व रिकार्ड में जिस व्यक्ति का नाम है वह बटवारा में शामिल हो सकता है । जिसका नाम नहीं है वह बटवारा में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । अगर किसी आराजी में स्वत्व हित निहित है तो वह अपने स्वत्वों की घोषणा कराने के लिए स्वतंत्र है । उसक लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रावधान दिया गया है जिसके लिए प्रार्थी अवसेतु स्वत्व घोषणा का दावा डम्बरसिंह व अन्य के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सैपऊ उनवानी अवसेतु बनाम डम्बरसिंह व अन्य के नाम से प्रस्तुत कर चुका है जो दिनांक 15.6.2017 को खारिज हो चुका है । इसलिए प्रार्थी को नामा0 संख्या 1049 वाके ग्राम कूकरा मांकरा के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । रेस्प0 संख्या 2 व 4 ने अपनी सहमति से बटवारा किया है जो सही बटवारा है । अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 2 को जो विक्रय किया है वह भी सही वयनामा है । जिस समय विक्रय पत्र किया उसके पश्चात नामा0 होने के पश्चात बटवारा किया तब माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के किसी भी स्थगन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं था । वैसे भी तत्समय डम्बरसिंह व प्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं था । अब माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण उनवानी डम्बरसिंह बनाम विटटी वगैरा दिनांक 30.10.2017 को निर्णय हो चुका है एवं डम्बरसिंह की अपील खारिज हो चुकी है । राजस्व रिकार्ड में स्थगन आदेश का अंकन नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया है । नामा0 संख्या 1049 दिनांक 21.7.2014 अप्रार्थी संख्या 3 रूस्तमसिंह द्वारा किये गये विक्रय पत्र का खोला गया है । रूस्तमसिंह के हिस्से से अपीलांट का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । अवसेतु ने न्यायालय श्रीमान में एक वाद स्वत्व घोषणा एवं बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी अवसेतु बनाम डम्बरसिंह प्रस्तुत किया जिसमें मात्र डम्बरसिंह के हिस्से में अपना हिस्सा होना जाहिर किया जो दिनांक 15.6.2017 को खारिज हो चुका है । इस प्रकार अवसेतु का रूस्तम के हिस्से में कोई स्वत्व हित निहित नहीं होने के कारण उसे नामा0 संख्या 1049 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती हे । ना ही प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सिजरा अनुसार अपीलांट का हित रेस्प0 संख्या 4 से जुडा है । जो वयनामा रेस्प0 संख्या 3 द्वारा रेस्प0 संख्या 2 के पक्ष में किया गया है उसका अपीलांट के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है । रेस्प0 संख्या 4 द्वारा माननीय



  
उपखण्ड अधिकारी  
सैपऊ

राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील दिनांक 30.10.2017 को खारिज हो चुकी है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.5.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

  
राजस्व मण्डल अधिकारी  
सैफ़क

